न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/सीलिंग/8279/2006/बून्दी

1.सीताराम पुत्र शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
2.बजरंगी पुत्री शंकर मृतक जरिये कायम मुकाम–
2/1. लटूर लाल पुत्र बजरंगी पुत्री शंकर
2/2.मोडू लाल पुत्र बजरंगी पुत्री शंकर
2/3. मु. सुमित्रा पुत्री बजरंगी पुत्री शंकर समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा
3. बडी बाई पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी मृतक जरिये वारिसान–
3/1.मोगरी लाल पुत्र बद्री बाई पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
4.धापू बाई पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी मृतक जरिये वारिसान–
4/1.रामचरण पुत्री धापू बाई पुत्री शंकर
4/2.रामकल्याण पुत्र धापू बाई पुत्री शंकर
4/3.रामहेत पुत्र धापू बाई पुत्री शंकर
4/4.मु.रमेशी पुत्री धापू बाई पुत्री शंकर
4/5.द्रोपती पुत्री धापू बाई पुत्री शंकर समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
5. प्रभु बाई पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
6. पांची बाई पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी
7. राजा बाई पुत्री शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जरिये राजकीय अभिभाषक
2. ओंकार लाल पुत्र शंकर जाति मीणा निवासी ग्राम डपटा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी

अप्रार्थीगण

एकल पीठ

श्री सुनील कुमार शर्मा सदस्य

उपस्थित

श्री अविनाश माथुर अभिभाषक अपीलार्थी

श्री शौकिन्द्र लाल गूर्जर उप राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

श्री भगवती सिंह अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 2

निर्णय

दिनांक;14–11–2019

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 23(2) ए) राजस्थान कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अतिरिक्त कलक्टर, (सीलिंग) बून्दी के निर्णय दिनांक 16–11–2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग) बून्दी ने सीलिंग प्रकरण संख्या 54/2006 को निर्णित कर ऐससी अपीलांट के धारण में 109–15 स्टे.एकड भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर बहक राजस्थान सरकार अधिग्रहित करने के आदेश दिये है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व अपीलार्थी के पिता के विरुद्ध सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर दोनों प्रकरणों को एक साथ क्लब कर दिनांक 31–3–70 को उप जिलाधीश बून्दी ने मिसल संख्या 73/70 के द्वारा ऐसेसी शंकर की खातेदारी की भूमि का सीलिंग निर्धारण करते हुये उनके पास कुल 157 बीघा 11 विस्वा भूमि मानकर 77 बीघा 11 विस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये। जिसके विरुद्ध अपीलार्थी के पिता शंकर ने राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील

संख्या 368/73 प्रस्तुत की जिसे आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये उपखण्ड अधिकारी बून्दी के निर्णय दिनांक 31–3–70 को बहाल रखते हुये शंकर को केवल आप्सन प्रस्तुत करने का आदेश दिनांक 22–12–73 को पारित किया। जिसके विरूद्ध अपीलार्थी के पिता शंकर ने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। उक्त निगरानी को दिनांक 24–9–75 को स्वीकार करते हुये दोनेां अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों को निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया। तत्पश्चात सहायक कलेक्टर बून्दी ने सीलिंग सीमा का पुनः निर्धारण कर उनके खाते में से 57 बीघा 6 विस्वा भूमि जो खसरा नम्बर 281,284की भूमि को ओंकार के हिंस्से की मानकर व खसरा नम्बर 259 तीनों को कम करते हुये शंकर के पास 67–8 एकड भूमि अधिक मानकर अधिग्रहण करने के आदेश दिनांक 15–7–76 को पारित किये। जिसके विरूद्ध ओंकार व उसके पिता शंकर ने पुनः एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के न्यायालय में अपील संख्या 713/76 प्रस्तुत की जिसे दिनांक 28–6–76 को निरस्त किया गया। जिसके विरूद्ध रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 8–3–78 के द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वह राजस्व मण्डल के समक्ष अपील व निगरानी की आलटरनेट रेमेडी ले सकते हैं। तत्पश्चात शंकर ने एक निगरानी राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की जिसे राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 20–7–78 के द्वारा निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध शंकर व ओंकार ने एक पिटीशन उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 19–3–79 को यथास्थिति कायम रखने का आदेश पारित किया। राज्य सरकार ने नये सीलिंग कानून

की धारा 15(1) के तहत पुराने निर्णयों को रिओपन कर पुनः सीलिंग सीमा निर्धारण करने हेतु प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर बून्दी को प्रेषित कर दिया। तत्पश्चात अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने प्रकरण का पुनः निर्णय करते हुये नये सीलिंग एक्ट व पुराने सीलिंग एक्ट के तहत दोनों में सीलिंग निर्धारण कर राज्य सरकार के हित में पुराने सीलिंग एक्ट के तहत अधिक भूमि अधिग्रहण होना मानते हुये 35 स्टे.एकड भूमि रखने का अधिकारी मानते हुये 109–15 स्टे.एकड भूमि सीलिंग सरप्लस घोषित करने का आदेश दिनांक 16–11–2006 को पारित किया। इससे व्यथित होकर यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलार्थी के पिता शंकर का देहान्त होने के बाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलार्थी का उनकी छोडी गई सम्पति में समान अधिकार है। अपीलार्थी सीताराम निर्णय दिनांक 16–11–06 को वादग्रस्त आराजी का रेकाडेर्ड खातेदार था एवं अपने पिता द्वारा छोडी गई सम्पति पर काबिज था। ऐससी शंकर के पास धारित भूमि पैतृक सम्पति है जिसे राजस्व मण्डल ने अपने पूर्व निर्णय दिनांक 24–9–75 में भी माना है। इसके अलावा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भी वादग्रस्त आराजी पैतृक होना प्रमाणित है। पैतृक सम्पति में शंकर के पुत्र ओंकार व सीताराम का जन्म से अधिकार है। अतः समस्त भूमि को शंकर की भूमि मानकर सीलिंग सीमा निर्धारण करने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। इसके अलावा वादग्रस्त आराजी का जरिये डिक्री दिनांक 31–7–70 को विभाजन हो चुका था। जिसके तहत

57बीघा 7 विस्वा भूमि सीताराम के खाते में आई है व 57 बीघा 6 विस्वा भूमि ओंकार के खाते में दर्ज की गई है व शंकर के हिस्से में 58 बीघा भूमि दर्ज की गई है। व पौत्र साहब लाल के हिस्से में 58 बीघा 10विस्वा भूमि सत्यनारायण के हिस्से में 57 बीघा 3 विस्वा भूमि बटवारे से प्राप्त हुई है। इसके अलावा बिरदा पुत्र नेनगा चमार को सदभाविक तौर पर दिनांक 10–3–63 को 22 बीघा 10 विस्वा भूमि बेचान की गई है। पूर्व के निर्णयों में इस बेचान को मान्यता भी प्रदान की गई है क्योंकि उक्त हस्तान्तरण 1–4–66 से पूर्व सदभाविक कृषक को किया गया था। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि निर्धारित दिनांक 1–1–73 को भूमिधारी शंकर के पास 208बीघा 17विस्वा भूमि एवं ओंकार के खाते में 57बीघा 6विस्वा भूमि थी। वादग्रस्त आराजी पैतृक होने बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। भूमिधारी ने दिनांक 10–6–63 को 22 बीघा 3 विस्वा भूमि का बेचान बरधा को किया है जो सीलिंग कार्यवाही से बचने के लिये किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि सम्मत है। अपील खारिज की जावे।

6. प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने अपीलार्थी के कथनों का समर्थन करते हुये अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी बारीकी से अध्ययन किया।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट होती है कि सर्वप्रथम अपीलार्थी व अपीलार्थी के पिता शंकर के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर दोनों प्रकरणों को एक साथ क्लब कर दिनांक 31–3–70 को उप जिलाधीश बून्दी ने मिसल संख्या 73/70 के द्वारा ऐसेसी शंकर की खातेदारी की भूमि का सीलिंग निर्धारण करते हुये उनके पास कुल 288 बीघा 6 विस्वा भूमि मानकर 77 बीघा 11 विस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानकर अधिग्रहण करने के आदेश पारित किये गये हैं। वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पति है,इस बाबत पत्रावली में राजस्व रेकार्ड महकमा बन्दोबस्त राज्य बून्दी नम्बर खाता 46 पानडी उपलब्ध है जिसमें लछमन वल्द तेजा वादग्रस्त आराजी का खातेदार दर्ज है। साथ ही जमाबन्दी पंचसाला में शंकर वल्द लछमन मजकूर खातेदार दर्ज है। इसके साथ ही मण्डल के माननीय अध्यक्ष की एकल पीठ ने अपने निर्णय दिनांक 24–9–75 में वादग्रस्त आराजी को पैतृक सम्पति मानकर बटवारे को मान्यता प्रदान करते हुये निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बून्दी को प्रतिप्रेषित किया है और बटवारे को मान्यता प्रदान की गई है। वादग्रस्त आराजी का जरिये डिक्री दिनांक 31–7–70 को विभाजन हो चुका था। जिसके तहत 57बीघा 7 विस्वा भूमि सीताराम के खाते में आई है व 57 बीघा 6 विस्वा भूमि ओंकार के खाते में दर्ज की गई है व शंकर के हिस्से में 58 बीघा भूमि दर्ज की गई है। व पौत्र साहब लाल के हिस्से में 58 बीघा 10विस्वा भूमि सत्यनारायण के हिस्से में 57 बीघा 3 विस्वा भूमि बटवारे से प्राप्त हुई है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मण्डल द्वारा जारी निर्देशों की पालना नहीं कर विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है। जब एक बार उच्चतर न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा बटवारे को मान्यता प्रदान कर दी गई

है और आराजी को पैतृक मान लिया गया है तो उसी अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित करना चाहिये था। निचली अदालत उच्चतर न्यायालय के निर्णय को मानने के लिये बाध्य है। इसके अलावा बिरदा पुत्र नेनगा चमार को सदभाविक तौर पर दिनांक 10–3–63 को 22 बीघा 10 विस्वा भूमि बेचान की गई है। पूर्व के निर्णयों में इस बेचान को मान्यता भी प्रदान की गई है। क्योंकि उक्त हस्तान्तरण निर्धारित दिनांक 1–4–66 से पूर्व सदभाविक कृषक को किया गया था। आराजी पैतृक होने के कारण कुल 288 बीघा 6 विस्वा आराजी में जन्म से ही अपीलार्थी सीताराम व प्रत्यर्थी संख्या 2 ओंकार लाल का निहित हो चुका था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को शंकर लाल, सीताराम व ओंकार लाल प्रत्येक का 1/3 हिस्सा मानकर निर्णय पारित करना चाहिये था। आर आर डी 1988 पेज 111 में मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Rajasthan Tenancy Act-Chapter IIIB(Old ceiling Law)Section 30B(a)-Family-Widow and minor sons of Hindu male inherit as tenant in common-Where succession had opened before 1-4-66 the minor sons could not treated as the family of their widowed mother-Each of them had to be assessed as separate units.

2006RBJ(13)page 186 Reshmi&Ors. Vs.State&Ors(H.C.)-

RAJASTHAN TENANCY ACT 19565-Chapter IIIB-Constitution of india 1950 Article226- Determination of ceiling land-All coparceners have right in agricultural land by birth.

सहायक जिलाधीश बून्दी ने अपने निर्णय दिनांक 3–1–76 में कुल 288 बीघा 6 विस्वा के सिंचित व असिंचित कुल भूमि मिलाकर 82–08 स्टे.एकड भूमि बताई है। इस प्रकार शंकर,सीताराम व ओंकार लाल प्रत्येक के हिस्से में लगभग साढे सत्ताईस स्टे.एकड भूमि आती है जबकि तीनों

ही सीलिंग कानून के अनुसार 30 स्टे.एकड भूमि तक रखने के अधिकारी हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

9. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग) बून्दी का निर्णय दिनांक 16–11–06 निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही समाप्त करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार शर्मा)
सदस्य